कार्यालय

# मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या .....

दिनांक .....

**मुख्य सचिव**

कृपया डा0 बृजेन्द्र कुलार लोधी, राष्ट्रीय संयोजक-बौद्धिक प्रकोष्ठ, विमुक्त, घुमंतू जनजाति विकास परिषद (अ0भा0) के संलग्न पत्र दिनांक 24.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमे उनके द्वारा अनुसूचित जातियों की भांति गैर अनुसूचित जाति (ओबीसी में सम्मिलित) 09 विमुक्त जातियों यथा-(1. लोध/लोधी/ किसान, 2. मल्लाह/ केवट, 3. भर/ राजभर, 4. बंजारा, 5. दलेरकहार, 6. घोसी, 7. गूजर/गुर्जर, 8. मेवाती, 9. औदिया/औधिया) को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।

**संलग्नक-यथोक्त**

24.07.2024

(शशांक त्रिपाठी)

विशेष सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन।

प्राप्त सी० एम० -2

26 JUL 2024

अन्तरित

Regd No. E-32975 (Mumbai)

# विमुक्त, घुमंतू जनजाति विकास परिषद् (अ० भा०)

De-notified, Nomadic Tribes Development Council (All India)

केन्द्रीय कार्यालय : स्व० शैलजा विजय गिरकर समरसता सभागृह, राजर्षी शाहू महाराज संस्कार केन्द्र, फुलपाखरू उद्यान, मागाठाणे डेपो के सामने, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-400066 । ईमेल - bklodhi@gmail.com
उ०प्र० कार्यालय : 128/II/155, देवकी नगर, कानपुर-208011 । सम्पर्क - 9450111741, 9415212112, 8169221589

डॉ० बी० के० लोधी
राष्ट्रीय संयोजक-बौद्धिक प्रकोष्ट

अनिल फड
राष्ट्रीय कार्यवाह

लक्ष्मी नारायण सिंह (दादा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पत्रांक : UP/DNT/07-02 दिनांक : 24-07-2024

सेवा में,
श्रीयुत आदित्यनाथ योगी जी,
मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

दिनांक : 24 जुलाई 2024

विषय: अनुसूचित जातियों की भांति गैर अनुसूचित जाति (ओबीसी में सम्मिलित) 09 विमुक्त जातियों यथा - [1- लोध / लोधी / किसान, 2- मल्लाह / केवट, 3- भर / राजभर, 4- बंजारा, 5- दलेरकहार, 6- घोसी, 7- गूजर / गुर्जर, 8- मेवाती, 9- औदिया/औधिया ] को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

माननीय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि आज की विमुक्त जातियों के पूर्वजों ने विदेशी आक्रान्ताओं (खिलजी, मुगल व ब्रिटिश हुकूमत) के विरुद्ध सदैव युद्ध किए थे। इन समुदायों के विद्रोह के इतिहास को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के विद्रोही समुदायों को आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871- 1924 की श्रृंखला के तहत जन्मजात अपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गये कड़े प्रतिबंधों के कारण इन समुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अस्पृश्य एवं डिप्रेस्ड क्लास से भी बदतर हो गई थी। (देखें- Census of United Provinces Report -1931 क्रिमिनल ट्राइब्स की सूची, संलग्नक-A) भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश शासन कालीन काले कानून को समाप्त कर दिया था तब से इन्हें विमुक्त जातियां कहा जाने लगा था।

2-(a) आपराधिक जनजाति अधिनियमन के पीछे औपनिवेशिक औचित्यीकरण : जब 1871 में ब्रिटिश अधिकारी टी.वी. स्टीफेन्स, जो कि कानून और व्यवस्था के सदस्य थे ने विधेयक पेश किया था, तो कहा था: "भारत की खास विशेषता जाति व्यवस्था है। यहाँ जातिगत व्यवसाय होते हैं। जैसे कि बढ़ई का एक परिवार एक सदी या पाँच सदी बाद भी बढ़ई ही रहेगा, अगर वे इतने लंबे समय तक टिके रहें। बढ़ई जाति का पेशा समस्त भारत में बढ़ईगीरी ही है। इसका मतलब है एक जनजाति जिसके पूर्वज अनादि काल से अपराधी थे, जो खुद जाति के उपयोग से अपराध करने के लिए बाध्य हैं और जिनके वंशज कानून के खिलाफ़ अपराधी

होंगे, जब तक कि पूरी जनजाति का सफाया नहीं हो जाता या ठगों की तरह उनका बध नहीं कर दिया जाता। जब कोई व्यक्ति उनके बारे में बताता है कि वे कानून के खिलाफ़ अपराधी हैं तो वे शुरू से ही ऐसे थे, और अंत तक ऐसे ही रहेंगे। सुधार असंभव है, क्योंकि यह उसका व्यवसाय है, उसकी जाति है, मैं लगभग यह कह सकता हूँ कि उसका धर्म अपराध करना है।" (राघवैया: 1968, 188- 89)। (आपराधिक जनजाति जांच समिति संयुक्त प्रांत की रिपोर्ट-1947, पृष्ठ-4)

(b) ब्रिटिश शासन की दृष्टि में जातिगत व्यवसाय के सिद्धांत के अनुसार आपराधिक जनजाति का व्यवसाय भी भारत के सभी क्षेत्रों में अपराध करना ही है, भले ही उनको सीमित क्षेत्रों में पहचान कर बतौर आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया हो। स्थान बदलने से जातियों के व्यवसाय नहीं बदलते। जैसे कि बढ़ई का व्यवसाय समस्त भारत में बढ़ईगीरी है। औपनिवेशिक काले कानून और तमाम तरह के प्रतिबंधों के कारण कथित आपराधिक जनजातियां शेष समाज से अलग थलग पड़ गयीं।

3 - इन सर्वाधिक वंचित विमुक्त जातियों के सर्वांगीण विकास व उत्थान के लिए भारत सरकार ने एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने, विशेषकर 1961 से जारी किए शासनादेशों के तहत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उपाय किए थे। शासनदेश संख्या 899/XXVI-700 (5) 1959 Dated Lucknow, May 12, 1961 के पैरा 3 में Backward Classes को चार श्रेणियों 1- Scheduled Caste 2- De-notified and Vagrant Tribes 3- Other Tribals (Adim Jatis) 4- Other Backward Classes (OBC) में विभाजित किया गया था। (संलग्नक - B)

**4- राज्याधीन सेवाओं में एससी, एसटी व विमुक्त जातियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा इन वर्गों की दशा सुधारने हेतु 29 अगस्त 1974 को विधानमंडल की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जातियों की संयुक्त समिति का गठन किया था। यह समिति बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्ति संपन्न समिति है। जो निरंतर विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है।**

5 - किंतु जैसा कि समिति ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में इनके संरक्षण कि व्यवस्था की गयी है किन्तु शासनतंत्र की उदासीनता के कारण इसका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। [देखें समिति (सामान्य ) अनुभाग -I विधान भवन, लखनऊ पत्र दिनांक 23/08/2023, File No. 1-02012(04)/1/2023- - 1, (संलग्न – C) ]

6- शासनतंत्र बे-बजह विमुक्त जातियों पर ब्रिटिश शासन कालीन जिलेवार प्रतिबंध लगाए हुए है। प्रदेश की नौकरशाही विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए किए गए प्रावधानों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। इसलिए विमुक्त जातियां अभी भी मुख्य धारा से बहुत दूर है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में निवासरत विमुक्त जातियाँ सवैधानिक वंचना और अन्याय झेलने के लिए अभिषप्त हैं।

7- माननीय महोदय हम वर्ष 2015 से निरंतर उत्तर प्रदेश शासन से लगातार मांग करते रहे हैं कि विमुक्त जातियों को बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं क्योंकि बिना जाति प्रमाण पत्र के उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किंतु शासन ने हमारे हर निवेदन एवं मांग की अनदेखी की है। हमने क्षेत्र प्रतिबंध हटाए जाने से संबंधित प्रत्यावेदनों में अनेक बार उन तथ्यों व शासनादेशों का उद्धरण प्रस्तुत किया जो (संलग्नक- D) के रूप में यहां पुन: प्रस्तुत है।

8- (a) यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि SC and ST Order (Modification), 1956 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को कुछ ब्लॉक या कुछ तहसील में ही अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट निर्गत किए जाते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में उनके ऊपर अस्पृश्यता का कलंक नहीं था। तात्पर्य यह कि अस्पृश्यता नितांत सीमित रूप से स्थानीय मामला था। जो जातियाँ कुछ तहसील या ब्लॉक में अस्पृश्य थीं, वे अन्य इलाकों में अस्पृश्य नहीं मानी जाती थीं। किंतु जब से Removal of Area restriction (Amendment) Act, 1976 एवं SC ST Orders (Amendment) Act, 1976 लागू किया गया तो उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा। (Vide preface of Census of India 1981) (संलग्नक- E)

8-(b) भर विमुक्त जाति जो कि ओबीसी में सम्मिलित है के लिए सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 27 अप्रैल 1977 को श्री बी डी सेठ, उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनदेश संख्या – 3527(1)/26-77—15 (31) / 77 जारी किया गया था। (संलग्नक -E/1) इसके बाद समय समय पर अन्य शासनदेश भी भर विमुक्त जारी किए गए।

9 - बता दे कि यदि ब्रिटिश सरकार किसी जाति विशेष को किसी भी क्षेत्र में आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित कर देती थी तो उनके ऊपर समस्त ब्रिटिश भारत में आपराधिक जनजाति होने का कलंक लग जाता था। अब यद्यपि 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम का निरसन कर दिया गया है, लेकिन पूर्व घोषित अपराधिक जनजातियों के ऊपर अभी भी अपराधी होने का सामाजिक कलंक लगा हुआ है। बे-शक उनके ऊपर से आपराधिक जाति होने का विधिक कलंक सरकारी कागजातों से 1952 में ही हटा दिया गया था।

10 - यह सोचनीय विषय है कि सभी जनपदों / क्षेत्रों में अस्पृश्यता का सामाजिक कलंक न होने के बावजूद अनुसूचित जातियों को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा किन्तु विमुक्त जातियों के साथ भेदभाव जारी है। जबकि वे सामाजिक रूप से आपराधिक जाति के रूप में सभी जनपदों में कलंकित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद- 16 (4) के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वंचित समुदायों के साथ हो रहे भेद-भाव हटाने व उनके विकास के उपाय करें। उत्तर प्रदेश शासन ने समसंख्यक शासनदेश दिनांक 26 मार्च 1962 एवं 12 जून 1962 को बिना जिलेवर प्रतिबंध के सभी जिलों के के लिए विमुक्त जातियों की सूची जारी की थी। ( संलग्नक - G व G-1

11 - महोदय अग्रलिखित विमुक्त जातियां (Ex-Criminal Tribes) जो पूर्वाग्रह और राजनीतिक कारणों से डिप्रेस्ड क्लास व बाद में शैडयूल्ड कास्ट्स तथा शैडयूल्ड ट्राइब्स की अनुसूची से वंचित कर दी गयीं थीं। उन्हें अनुचित रुप से 1994 से ओबीसी की संख्या एवं तदनुसार कोटा बढ़ाने के इरादे से ओबीसी में शामिल कर

दिया गया। तभी से इन विमुक्त जातियों का हक हड़पने की गति तीव्र हो गयी। जबकि विमुक्त जातियों की मौलिक श्रेणी / वर्ग / पहचान को नष्ट नहीं करना चाहिए।

12 - ये विमुक्त जातियों हैं - 1- लोध / लोधी 2- मल्लाह / केवट 3- भर / राजभर 4- बंजारा 5- गंदीला 6- दलेरकहार 7- गुर्जर 8- तगाभाट 9 - घोसी 10- मेवाती 11- औदिया / औधिया (AnSI के सर्वे के अनुसार गंदीला अनुसूचित जाति की हकदार हैं, जबकि तगाभाट कहीं नहीं पाये गये)। इस तरह शेष नौ विमुक्त जातियां जो ओबीसी में जबरन शामिल कर ली गयीं हैं, इससे उनकी मौलिक गौरवमयी पहचान का संकट भी पैदा हो गया है।

13 - जबकि ये जातियां खिलजी, मुगल एवं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्धरत रही हैं। विमुक्त जातियाँ वास्तविक स्वातंत्र्य योद्धा एवं सनातन संस्कृति की रक्षक जातियाँ हैं। पूर्व तथा वर्तमान नौकरशाही इनकी घोर उपेक्षा कर रही है।

14 - उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कमैटी (अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति) का गठन ओबीसी कोटा का विभाजन करने के उद्देश्य से किया था। हमने मांग की थी कि जो उक्त विमुक्त जातियाँ ओबीसी में शामिल की गई हैं, उन्हें विमुक्त (ओबीसी) केटेगरी नाम से सर्वाधिक पिछड़ा (Extremely Backward) वर्ग में रखा जाय। और विमुक्त (ओबीसी) को महाराष्ट्र राज्य कि भांति 12 प्रतिशत प्रथक आरक्षण दिया जाय। किन्तु इस आशय का संकल्प पत्र न होने के कारण हमारी मांग को नहीं माना गया। Census of United province Report- 1931 में उक्त विमुक्त जातियों (The then Criminal Tribes) को अस्पृश्य एवं डिप्रेससेड क्लास से भी आधिक पिछड़ा माना था (संलग्नक- F)।

महोदय, आपसे न्यायहित में निवेदन है कि उक्त 09 विमुक्त जातियो - 1- लोध / लोधी / किसान 2- मल्लाह / केवट 3- भर / राजभर 4- बंजारा 5- दलेरकहार 6- घोसी 7- गुर्जर, 8- मेवाती 9- औदिया/औधिया को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शासनदेश निर्गत किया जाय। जिससे उन्हें राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा उनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद एवं आभार।

भवदीय

(लक्ष्मी नारायण सिंह, दादा)

(डॉ० बृजेन्द्र कुमार लोधी)

प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु :

1- श्री बी एल वर्मा जी, मा० सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली-01

2- श्री विपिन कुमार डेविड, मा० विधायक / मा० सभापति, पंचायतीराज समिति, उ० प्र०, लखनऊ

(13) (5) (11) (9)

मा. मुख्यमंत्री (वर्तमान), उत्तर प्रदेश सरकार, श्री योगी आदित्य नाथ, प्रदेश की विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के गौरवमयी अतीत, राष्ट्र के लिए उनका योगदान और वर्तमान दयनीय स्थिति तथा उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु लोकसभा में दिनांक 12 मई 2015 को भाषण देते हुये ( कृपया भाषण को लिखित रूप में पढ़ने के लिए पार्श्व पृष्ठ / अगला पृष्ठ देखें )

Dr. Lodhi

Scanned with OKEN Scanner

**श्री योगी आदित्य नाथ, वर्तमान मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के गौरवमयी अतीत, राष्ट्र के लिए उनका योगदान और वर्तमान दयनीय स्थिति पर चर्चा तथा उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु लोकसभा में दिनांक 12 मई 2015 को दिया गया भाषण**

महोदय, समाज की मुख्यधारा से उन सभी जातियों को जोड़ा जाना चाहिए जो अभी तक मुख्यधारा से वंचित
रही है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में या फिर अन्य पिछड़ी जातियों में या जो भी उनका उचित स्थान है.
उनमें शामिल किया जाना चाहिये. मैं खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं. महोदय जब
मैं घुमंतू जातियों की ओर देखता हूं. उनके बीच में जाकर हम लोगों ने कुछ कार्य भी किया है. आप आश्चर्य करेंगे कि
रामायण काल में देखेंगे तो भगवान राम के जो सहयोगी थे, वही वनवासी थे, वही कोल थे, वही भील थे वही वनवासी थे
जिन्हें हमने अपने से दूर कर दिया है. उन्हें हम जनजाति के रूप में स्थान दिलाना चाहते हैं. भगवान कृष्ण के समय में
यही लोग उस समय की व्यवस्था के साथ जुड़कर राष्ट्र को बचाए थे, और यही नहीं ! महाराणा प्रताप और छत्रपति
शिवाजी महाराज की सहयोगी भी यही जातियां थी, जिन्हें हम आज भी जनजाति कह कर के, इस समाज से अलग किए
हुए हैं. अगर कहा जाए तो इस देश की सही मायने में विपरीत परिस्थितियों में ! उन विषम समयों में ! गुलामी के समय
में ! देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर के, वनों में रहकर के, पहाड़ों में रहकर के, उन खोहों
में रहकर के देश की स्वाधीनता की रक्षा की थी. उनमें यह सब जातियां आती हैं. बहुत सारी जातियां घुमंतू जातियां हैं.
घुमंतू जातियों के बीच में यदि आप जाएंगे, तो वे एक ही बात कहते हैं कि हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं. गोरखपुर
में एक जाति है- बधिक जाति ! वे समाज से बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं. विकास की कोई योजना उन तक नहीं
पहुंची. मैं एक दिन अचानक उनके बीच में गया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों रहते हैं ? उन्होंने कहा कि समाज
हमें स्वीकार ही नहीं करता है. मैंने कहा आप लोग कौन हैं ? वे सब लोग अपनी टाइटल सिंह लिखते हैं. सरकार ने
आजादी के बाद उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया है ! तो उन्होंने कहा कि हमारा मूल राजस्थान है. राजस्थान से
भाग कर आए हैं. जब महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जंगल में जाना पड़ा था, तो उनमें से हम लोगों में
कुछ ऐसे थे जिन्हें वहां से भागकर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा था, हम लोग उनमें से हैं. वे आज भी खानाबदोश
की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. घुमंतू जाति हैं ! माननीय मंत्री जी ने जिस मेहतर जाति के बारे में (कर्नाटक की जाति के
बारे में) संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कहा है, यह मुख्य रूप से बांस-
बेंत का काम करने वाली जाति है, और उत्तर प्रदेश के अंदर यह बांसफोड़ नाम की एक जाति होती है, जो घुमंतू जाति
है. उन्हें कोई भी योजना, किसी भी सुविधा का लाभ आज तक नहीं मिला. उन्हें न अनुसूचित जाति में शामिल किया
गया है, न अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बधिक है,
बांसफोड़ है, कंजर है और गोंड है। मध्यप्रदेश में अगर आप जाएंगे तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा है लेकिन उत्तर
प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि वह अनुसूचित जाति में आते हैं. तो इन सभी को अनुसूचित जनजाति
में शामिल करके उनका न्याय उन्हें प्रदान किया जाय. उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जाय. ऐसा करके अपनी तरफ से
हम उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे ! कोई वरदान नहीं दे रहे हैं. यह हमारा एक दायित्व है ! एक राष्ट्रीय दायित्व है ! कि
जिन्होंने राष्ट्र की विषम परिस्थितियों में रक्षा की है। तो अगर आज वे विपन्न हैं, तो हम उनके सहयोग के लिए आगे
आयें- और उनके सामाजिक सामाजिक न्याय की स्थापना करके राष्ट्र को सशक्त बनायें एक ! दूसरा यहां पर कुछ जो
प्रस्ताव आये हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है, महोदय एक जाति है हमारे यहां निषाद ! निषाद केवट मांझी धीवर
यह जो जातियां हैं बिहार में अनुसूचित जाति में आती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आती हैं उत्तर प्रदेश
सरकार ने केंद्र में एक प्रस्ताव भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए मैं आपके माध्यम से माननीय
मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा की निषाद, केवट, मांझी, धीवर, बिंद आदि जो जातियां हैं इन्हें भी शासन, यह
आपका मंत्रालय नहीं है ! लेकिन जो भी हमारे मंत्री हैं, नारायण स्वामी जी हैं, वह संबंधित मंत्री तक इस बात को
पहुंचाने का कार्य करें की इन जातियों की स्थिति अत्यंत बदहाल है, अत्यंत पिछड़ी हैं, बहुत कमजोर हैं, अलग स्थानों पर
अलग-अलग ! दिल्ली में कुछ बिहार में कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ. इनको भी अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में
शासन की कल्याणकारी योजना का लाभ इन्हें मिले. सामाजिक न्याय की स्थापना हो जिससे राष्ट्र को सशक्त बनाने में
योगदान दे जातियां दे सकें. आपने मौका दिया आपका बहुत धन्यवाद !

Dr. Lodhi

प्रस्तुति: डॉ. बी के लोधी, DNT Activist

Scanned with OKEN Scanner

(7) संलग्नक - A

**CENSUS OF INDIA-1931 PART-I REPORT**
**EX-OFFICIO CENSUS COMMISSIONER AND REGISTRAR GENERAL OF INDIA**
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI**
**FOR UNITED PROVINCES**

11. The untouchables and depressed classes are of course backward as well but in addition to those there are other tribe and castes both Hindu and Muslim who whilst not being depressed are more conspicuously backward than the average tribe or caste. These can be divided into:

(i) **Criminal tribes;**

(ii) Other tribes and castes both Hindu and Muslim.

**(i) For a complete account of the Criminal tribes of the Province the reader is referred to the Annual Reports on the Operations in the United Provinces under the Criminal Tribes Act, which published by the Government Central Press at Allahabad. The following is list of tribes and castes which have been gazetted as Criminal in the whole or in any part of the province. Those with an asterisk are also included under the untouchable and depressed classes. All can safely be regarded as backward classes.**

1. Aheria*
2. Badak* (Badhik)
3. Bahelia* (includes Pasia)
4. Banjara
5 Bamyar*
6 Beria*
7 Bhar* + Rajbhar
8 Bhawapuria
9 Bauria*
10 Chamar*
11 Dom* (Plains)
12 Gandhila
13 Ghosi (Hindu)
14 Gujar
15 Habura*
16 Kewat
17 Khatik*
18 Kisan ] Synonyms. पर्यायवाची
19 Lodh ]
20 Mallah + Kevat are synonyms.
21 Meo, Mewali, Mina or Mina Meo
22 Musahar*
23 Nat*
24 Ondhia
25 Palwar Dusadh*
26 Pasi*
27 Rajput Muslim
28 Ranghar
29 Rind
30 Sawaurhiya*
31 Sansia*
32 Taga Bhat

(8) संलग्नक - 13

No. 899 /XXVI-700 (5)-1959

From

Sri IFTIKHAR HUSSAIN

Up Sachiv to Government,

Uttar Pradesh, Lucknow.

To,

The NIDESHAK, Harijan Kalyan,

Uttar Pradesh, Lucknow.

Dated Lucknow, May 12, 1961.

Subject- **Welfare of Backward classes in Uttar Pradesh- Grant of concessions to the most backward Amongst the backwards under the Schemes for-**

Sir,

I am directed to say that the removal of untouchtability and the welfare of backward classes particularly the Scheduled castes, are among the most important objectives of the community development Programme and the Kshetra Samitis and Gaon Sabhas have a special responsibility in the matter. The part of the Samitis and Up Samitis at the Village and Block levels are expected to play in the social, educational and economic progress of these classes was also stressed in G.O. no. 7050/ XXXV-A-476-59, dated December, 9, 1960 issued from planning (A) Department.

2. The Second plan envisaged that maximum advantage would be derived by the backward classes from general development schemes and the funds especially provided for them used to supplement the resources available for such schemes. in practice, However, this principal was not fully observed this was partly due to a wrong impression in some quarters that it was not very necessary to utilize the general provisions in departmental budgets for these classes in respect of programmes for which provisions existed in the budget of the Harijan Sahayak Vibhag . It should therefore, now be brought prominently to the notice of the Kshetra Samitis that the backward classes, particulary the Scheduled Castes should get their due share in the normal programmes of all departments and the resources available to them, and, whenever, feasible, an adequate share in these reserved for them. The funds made

available by the Harijan Sahayak Vibhag are meant only to supplement these resources and not to replace them.

3. The description "Backward Classes" is commonly applied to the following sections of the population:-

1. Scheduled Caste.

2. De-notified Tribes and Vagrant Tribes.

3. Other Tribals. The constitution provides for the declaration of Tribals (Adimjatis) as Scheduled Tribes. There are, at present, no Scheduled Tribes in the State, though we have tribes residing here whose way of life and economic conditions are similar to these who have been declared Scheduled Tribes in neighbouring States. It is expected that certain tribes in this State also will, in due course, be notified as Scheduled Tribes. In the meanwhile steps are being taken to evolve a comprehensive programme for their welfare.

4. Other socially, economically and educationally and backward classes who have been notified by the state government as "Other Backward Classes".

4. There is a widespread feeling among large sections of Backward Classes that the most backward and less vocal among them did not get an adequate share in the available funds and facilities. It has accordingly been decided to give preference among Scheduled Castes to the communities who are engaged in unclean professions, such as scavenging, flaying and tanning; and the De-notified Tribes included in the list of Scheduled Castes. These communities will be in Category 'A' and will get preference over others in Category 'B'. The lists of communities in the two categories are enclosed.

5. For the welfare of the Other Backward Classes provision has been made only for the award of stipends and non-recurring assistance for general and technical education. As the number of students belonging to the communities listed as Other Backward Classes is very large, and it is not possible within the limited resources to assist them all, the assistance under this scheme will therefore continue to be given on the basis of merit. Assistance may however, also be given to some students from among such "Other Backward Classes" as are unable to get any purely on merit.

6. As stated in paragraph 3 above, though there are no Scheduled Tribes recognized as such, in this Pradesh yet there are certain tribes residing in the State which deserve special attention in the same way as is available to Scheduled Tribes in other States. These tribes are (1) Bhil, (2) Buxas, (3) Bhuiya, (4) Bhotia, (5) bora, (6) Chero, (7) Gond, (8) Koltas and other polyandras in Jaunsar-Bawar and Ranwain- Jaunpur Parganas of Tehri and Uttar Kashi districts, (9) Kharwar, (10) Kol, (11) Korwa, (12) Rajis (Banmanus) of Askot Forest, (13) Tharu and (14) Muslim Gujjars in the hills. Out of these fourteen communities six communities at no. (3), (5), (7), (9), (10) and (11) are already included in the list of Scheduled Castes, one community at no. (4) In the list of Other Backward Classes and have been getting concessions admissible to them. The remaining six communities may also be given the benefit of educational facilities provided for the students belonging to other Backward Classes.

7. Lists of De-notified and Vagrant Tribes are being prepared and orders will issue separately.

Yours faithfully,

IFTIKHAR HUSSAIN,

Up Sachiv.

No. 899 (i) / XXVI-700(5)-1959

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) All District Magistrates, Uttar Pradesh, with five spare copies.
(2) All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.
(3) All Heads of Departments and Principal Heads of offices, Uttar Pradesh.
(4) All District Inspectors of Schools.

No. 899 (ii) / XXVI-700(5)-1959

Copy also forwarded to all Departments of the Secretariat for information.

By order,

IFTIKHAR HUSSAIN,

Up Sachiv.

(11)

No. 899 (a) / XXVI-700(5)-1959

From

Sri IFTIKHAR HUSSAIN, P.C.S.,

Up Sachive,

Uttar Pradesh, Shashan.

To,

The NIDESHAK, Harijan Kalyan,

Uttar Pradesh, Lucknow.

Dated Lucknow, May 12, 1961.

Harijan Sahayak Vibhag.

Subject- Welfare Schemes for De-notified and Vagrant Tribes..

Sir,

In continuation of G.O., no. No. 899 / XXVI-700(5)-1959, dated May 12, 1961 I am directed to say that after repeal of the Criminal Tribes Act 1924 the communities which were notified as Criminal Tribes under the foreign rule are now normal citizens of the country without any restriction on them. As the main reasons for the criminality of these tribes had been their poverty and economic instability steps were taken to improve their educational, economic and social conditions and to rehabilitate them permanently. Efforts have been made in the second plan period to educate their children by giving to them stipends and non-recurring assistance and by establishing Ashram type schools. The members of this community have also been given financial assistance to fix themselves on cottage industries and to settle them as agriculturists. In order to improve the housing conditions they have been given subsidy for the improvement of their existing house and construction of the new ones. This programme is to continue with accelerated tempo during the third plan period.

2. There has however been no authenticated list of the De-notified tribes and the Vagrants tribes with the result that the field staff had been experiencing a great difficulty in selecting the beneficiaries under that programme. It was further not possible to prepare a perspective plan for the uplift of these communities as the data regarding their population and

main occupation was not known. The Government have therefore, decided to prepare exhaustive list of De-notified Vagrant tribes for purposes of their welfare programme. These lists are appended herewith for information and guidance of all concerned. The communities, already enlisted as Scheduled Castes have been excluded from this list.

3. It may be stated here that there had been some misapprehension among these tribes that the state Government were contemplating to re-list them as Criminal Tribes. This is farthest from the truth. There is no question of their being re-listed as Criminal Tribes as the act under which this was used to be done has since been repealed by the popular Government. This list only enumerates the communities which are eligible for special assistance which the Government may extend to them from time to time.

Yours faithfully,

IFTIKHAR HUSSAIN,

Up Sachiv.

No. 899 (a) (i) / XXVI-700(5)-1959

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) All District Magistrates, Uttar Pradesh, with five spare copies.
(2) All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.
(3) All Heads of Departments and Principal Heads of offices, Uttar Pradesh.
(4) All District Inspectors of Schools.

---

*List of De-notified Tribes leading settled life.*

| Name of Community | District in which residing |
|---|---|
| 1. Banjara | Agra, Farrukhabad, Hardoi, Jhansi, Lucknow, Mainpuri, Meerut, Mathura, Pilibhit, Rai-Bareilli, Sitapur, Unnao, Etah, Etawah. |
| 2. Bhar | Azamgarh, Varanasi, Faizabad, Jaunpur, Gorakhpur |
| 3. Dalera Kahar | Bareilly, Meerut and Moradabad. |
| 4. Gandila | Muzaffarnagar. |
| 5. Ghosi (Hindu) | Aligarh, Etah and Mainpuri. |
| 6. Kewat | Basti. |
| 7. Mallah | Agra, Aligarh, Ballia, Bulandshahar, Etawah, Gorakhpur, Mirzapur and Mathura. |
| 8. Lodh | Fatehpur, Mainpuri. |
| 9. Mewati | Bulandshahar, Aligarh. |
| 10. Oudhia | Kanpur, Fatehpur. |
| 11. Taga Bhat | Saharanpur. |

* While in fact these communities are residing in all districts.

(41)

*List of De-notified Tribes who are also Vagrants*

| Community | District in which residing |
|---|---|
| 1. Khurpalta | Agra, Mathura. |
| 2. Mongia (Mong) | Agra, Jhansi. |
| 3. Madari | Agra, Aligarh, Allahabad, Saharanpur, Sultanpur. |
| 4. Singiwala | Aligarh, Bareilly, Badaun, Mathura, Nainital, Saharanpur. |
| 5. Aughar | Allahabad. |
| 6. Baid | -Do- |
| 7. Bhat | Allahabad, Varanasi, Etah, Hardoi, Etawah, Fatehpur, Hamirpur, Mirzapur, Mathura. |
| 8. Chamarmangta | Allahabad, Fatehpur, Hardoi, Sitapur, Sultanpur. Unnao. |
| 9. Jogi | Allahabad, Shahjahanpur. |
| 10. Joga | Badaun. |
| 11. Kingiria | Allahabad. |
| 12. Mahawat (Lungi Pathan) | Allahabad, Bahraich, Hardoi, Pilibhit, Rae-Bareilly, Unnao. |
| 13. Qulandar Faqir | Allahabad, Azamgarh, Ballia, Bareilly, Pratapgarh. |
| 14. Bhatri. | Allahabad. |
| 15 Sapera (Saperia) | Allahabad, Mathura, Saharanpur. |
| 16. Kurmangia(Hindu Mahawat) | Kanpur, Hardoi. |
| 17. Beldar | Etawah, Saharanpur. |
| 18. Kannalia | Etawah. |
| 19. Gonhaid | Farrukhabad, Jhansi. |
| 20. Godaahar | Gonda, Sultanpur. |
| 21. Lona Chamar | Jalaun. |
| 22. Burgy | Mathura. |
| 23. Siqligar | -Do- |
| 24. Kankali | Sultanpur. |
| 25. Brijbasi | Unnao. |

(15) संलग्नक - C F F

U7883/2023 सविता कुमारी
अनु सचिव।

File No.1-02012(04)/1/2023- -1 E-2507961 1751

समिति (सामान्य) अनुभाग-1

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक 23/08/2023

आदरणीय महोदय,

भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष मे जिन्हे राज्य की सेवाओ मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हे उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओ में इनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है व किन्तु शासनतंत्र की उदासीनता के कारण इसका कार्यान्वयन सही से नही हो पा रहा है, राज्याधीन सेवाओ मे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियो व विमुक्त जातियो हेतु आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, इन वर्गो की दशा को सुधारने एवं शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियो से संबंधी संयुक्त समिति का गठन 29 अगस्त 1974 को किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 283 (ग) से (ड) तक मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 01 मई 2008 से इस समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली नियत की गई है।

समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियम-6 मे दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत आपके अधीनस्थ नगर विकास विभाग एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयो की समीक्षा एवं विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 25 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे से विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-48 में आपका साक्ष्य लिये जाने हेतु बैठक आहूत की गई है।

उक्त बैठक में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा विमुक्त जातियो की विगत बैठक दिनांक 24 मई, 2023 को हुये साक्ष्य मे समिति द्वारा दिये गये निर्देशों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी व साथ ही बैठक के समय प्रस्तुत विषयों पर साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के साथ उनकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि अपने अधीनस्थ नगर विकास विभाग एवं उसके नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों (यदि कोई हो) का निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक संवर्गवार/श्रेणीवार आरक्षण विषयक आख्या, श्रेणीवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 15 सितम्बर, 2023 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों मे आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या की 60 प्रतियां हिन्दी वर्जन (हार्ड कॉपी) एवं एक प्रति साफ्ट कॉपी (पी0डी0एफ0) में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही सभा समिति के निर्देशानुसार निम्नांकित बिन्दुओं का भी अनुपालन कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 23 जून, 2009 के अनुसार समिति के उपयोगार्थ सूचना/टिप्पणी चार कार्य दिवस पूर्व अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समिति के समस्त मा0 सदस्यों को समयानुसार उपलब्ध कराया जा सके।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा के पत्र संख्या-54/11/स0आ0वि0स0/2022 दिनांक 19 जनवरी, 2023 का भी अवलोकन करने कष्ट करें।
3. उक्त आख्या की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग को भी सीधे प्रेषित करें।
4. मा0 सभापति की पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु उक्त साक्ष्य बैठक मे आपके सहायतार्थ आने वाले अन्य विभागीय अधिकारियो के नाम (पदनाम सहित) की सूची के साथ कृपया तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. बैठक हेतु निर्धारित स्थान/कक्ष में कृपया निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व उपस्थित होने का कष्ट करे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

श्री अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग।

Digitally Signed by Savita Kumari
Date: 23-08-2023 15:14:55
Reason: Approved

(सविता कुमारी)
अनु सचिव।

4340/PS
21.08.2023
VS (AK)
29.8.2023

(16)

(सलग्नक - 1))

बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध मे तथ्य एवं आधार

राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार / विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू समुदाय विकास व कल्याण बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार तथा अवर सचिव, दयानंद कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को अपने निम्नलिखित पत्रों के तहत प्रदेश की विमुक्त जातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु स्पष्टीकरण व निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसे -

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश:

1- डॉ बीके लोधी, तत्कालीन उपसचिव, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग के पत्र दिनांक 09-02-2017 द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया गया था कि प्रदेश के जिन जनपदों में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां निवासरत हैं वहां उन्हें विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। (इस तथ्य की स्वीकारोक्ति श्री रजनीश चंद्र, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2023 में है।

2- श्री आशीष रावत, CEO, Development and welfare Board for DNTs (DWBDNC) के पत्र संख्या- F-11012/3/2020-Grievance/DWBDN, MSJ&E, GoI dt. 29-05-2020 के द्वारा भी उ०प्र० शासन को निर्देशित किया गया था कि उत्तर प्रदेश की सभी विमुक्त जनजातियों को बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी किये जांय।

3- श्री राजेश कुमार सिन्हा, अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (DWBDNC), ने पत्र दिनांक 15/07/2020 द्वारा भी प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत स्पष्टीकरण सहित निर्देश दिया था कि प्रदेश में निवासरत विमुक्त जनजातियों को बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्रवाई करें।

4- उक्त प्रस्तर- 3 के पत्र का अनुस्मारक (Reminder) -2, दिनांक 21-06-2020 भी अवर सचिव द्वारा यथा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश के साथ भेजा गया था।

5- Shri R. Subramanyam, I. A.S. Secretary, MSJ&E ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को D.O. Letter no. 11020/2020-DWBDNC Dt. 18th August, 2020 के साथ इदाते कमीशन द्वारा चिन्हित बिना क्षेत्र प्रतिबंध के DNTs की राज्यवार सूची संलग्न कर भेजी थी। पत्र में लिखा था कि जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज के अभाव में विमुक्त जत्तियाँ उनके लिए संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

6- Shri R. Subrahmanyam, I. A.S. Secretary, MSJ&E ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अगला D.O. Letter No. B-11014/2/2020-DWBDNC-Pt.111 Date: 22.06.2022 विमुक्त जनजातियों की

राज्यवार सूची सहित इस निर्देश के साथ भेजा था कि प्रदेश की विमुक्त जातियों को समयबद्ध तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी करें। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में राज्य की विमुक्त जातियां SEED के लाभ से वंचित हैं।

7- Under Secretary, Shri Dayanand Kumar, MSJ&E, Department of Social Justice ने श्री रजनीश चंद्र, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या 1813/26-3-2023/C.N.-1717698 Dated 16.06.2023 के विषय- Issuing caste certificate to DNTs without any area restriction in U.P.- Reg. के जवाब में स्पष्ट किया है कि D.O. Letter dated 22-06-2022 में क्षेत्र प्रतिबंध के बिना संलग्न राज्यवार सूची के अनुसार समयबद्ध तरीके से विमुक्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

8- श्री अमित यादव, I.A.S. , सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने उपरोक्त बिन्दु -6 में उल्लेख किए गए D.O letter के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को D.O. No. 20012/11/2024-DWBDNCs Dt. June 26, 2024 इस आशय का भेजा कि विमुक्त जातियों को राज्य की सूची के अनुसार बिना कठिनाइयों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाय तथा विमुक्त जाति प्रमाण पत्र में आवेदक का फोटो, माता- पिता का नाम, जन्म की तारीख, निवास, आधार कार्ड नं० तथा विमुक्त जाति जिस समुदाय (SC, ST, OBC, Others) से संबंधित है का उल्लेख किया जाय।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा बीना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिए गए उक्त निर्देशों के अलावा उत्तर प्रदेश शासन ने भी निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को विमुक्त जातियों की राज्यवार सूची प्रेषित की थी। जिनका उल्लेख माननीय आयोग को पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदनों में संलग्न को सहित किया जा चुका है।

## उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश

1- श्री इफ्तिखार हुसैन, उ०प्र० सचिव द्वारा 26 मार्च 1962 को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के 19 उन विमुक्त जातियों की, जो एससी की सूची में शामिल होने से विमुक्त जाति की सूची से हटा दी गयीं थीं, की राज्यवार सूची सहित शासनादेश जारी किया गया।

2- निदेशक हरिजन और समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में सभी जिलाधिकारी को 12 जून 1962 को 29 स्थिरवासी विमुक्त जातियों तथा 25 घुमंतू विमुक्त जातियों की सूची सभी जिलाधिकारी को बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध के प्रेषित की थी।

3- SCs and STs Orders (Amendment) Act, 1976 लागू होने के बाद प्रदेश की अनुसूचित जातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के प्रत्येक जनपद में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने लगे जबकि विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित केवल भर विमुक्त जाति जो कि ओबीसी में सम्मिलित हैं को सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्री बी डी सेठ, तत्कालीन उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को (हरिजन सहायक अनुभाग-1 लखनऊ) दिनांक 27 अप्रैल 1977, शासनादेश जारी किया । इसके बाद समय-समय पर अन्य शासनादेश भी भर विमुक्त जाति के लिए जारी किए गए।

4- निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008- 2009 में जारी परफॉर्मेंस पुस्तिका में 40 घुमंतू विमुक्त जनजातियों तथा 31 स्थिरवासी विमुक्त जनजातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के राज्यवार सूची प्रकाशित की थी। जो अन्य वर्षों में भी जारी होती रही।

5- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ में पत्रांक 1-25/2019-20/IGRS/मु०म०संदर्भ/ शो०प्र०सं०/लखनऊ दिनांक 28 दिसंबर 2021 के द्वारा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 को अभिमत दिया कि भर विमुक्त जाति की तरह से सभी विमुक्त जातियों को बिना किसी क्षेत्र पर निबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

6- निदेशक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने पत्रांक 124/1-39/2020-21/शो०प्र०सं०/ लखनऊ दिनांक मई 16, 2023 के द्वारा उप सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3, को पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के संदर्भ में अभिमत दिया कि प्रदेश की समस्त विमुक्त जातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

7- निदेशक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने NHRC द्वारा Additional information Called for -9801/24/0/2020 के जवाब हेतु उप सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 को पत्रांक : 968/1-39/2020-21/शो०प्र०सं०/लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के तहत अभिमत दिया कि उत्तर प्रदेश में निवासरत सभी विमुक्त जातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

विमुक्त जनजातियों के मामले में सवेक्षण करने / रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नोडल संस्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ है। जिसने अनेक बार अपना स्पष्ट उपरोक्त अभिमत दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार तथा मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग तथा वियुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू समुदाय विकास और कल्याण बोर्ड, भारत सरकार अनेक बार उत्तर प्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में निवासरत सभी विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को बिना क्षेत्र प्रतिबंध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

R. Lodhi
24.7.24

(19)

सलग्नक – E

CENSUS OF INDIA 1981

LISTS OF SCHEDULED CASTES AND
*SCHEDULED TRIBES*

Office of the Registrar General and
Census Commissioner for India
Ministry of Home Affairs
New Delhi

## PREFACE

From 1951 Census onwards the census questionnaire contains items of enquiry to ascertain whether the respondent belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and, if yes, the name of the Scheduled Caste/Tribe to which he belongs with a view to collecting information for discharging the Constitutional obligations towards these communities. In the Individual Slip (universal) adopted for 1981 Census, Question 9 makes an enquiry about the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status and Question 10 about the name of the specific Scheduled Caste/Tribe. Likewise, the Question 3 of the Household Schedule enquires whether the head of the household belongs to SC or ST and Question 4 the name of the Scheduled Caste/Tribe of the head of the household, if the answer to Question 3 is in the affirmative. The statutory lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are notified in pursuance of Articles 341 and 342 of the Constitution. The lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes were notified for the first time under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. These lists have been modified or amended or supplemented from time to time. On the reorganisation of the States, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) Order came into force from 29th October, 1956. Thereafter, a few orders specifying Scheduled Castes/Tribes in respect of a few individual States also came into force. For instance, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order was issued in 1956, while the Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders were issued in 1962. In Uttar Pradesh the Scheduled Tribes were notified for the first time in 1967 vide the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967. Likewise, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order was enforced in 1964. In case of Union Territory of Goa, Daman

and Diu the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order was issued in 1968. Likewise, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order came into force in 1970. Recently, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, has come into force, The main purpose of this Amendment Act was to remove area restrictions in respect of most of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes appended to this Act are materially the same as contained in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) Order, 1956. The only difference is that most of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are now notified throughout the State unlike in the 1956 Order where in most cases these were notified in relation to different regions of the State, resulting in area restrictions. The Amendment Act of 1976, did not include the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of States/Union Territories like Chandigarh, Delhi, Jammu & Kashmir and Pondicherry which were not affected by the Act. This necessitated referring to different Acts and Orders for the purpose of ascertaining the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in different States and Union Territories. For instance, while in case of Andhra Pradesh, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, is fully applicable in respect of Scheduled Castes as well as Scheduled Tribes, in case of Delhi, the 1956 (Modification) Order has to be referred to. Likewise, in case of Jammu & Kashmir, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 is relevant, while in case of Goa, Daman and Diu, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order 1968 is relevant. In a few cases a reference to different Acts and Orders is necessary for ascertaining the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the same state. For Uttar Pradesh, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, is relevant for Scheduled Castes only, while for the Scheduled Tribes a reference is required to be made to the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, which is still valid for the state.